राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 377/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
विपुल कुमार शर्मा 21 -22, चौधरी कॉलोनी, पास भारत पब्लिक स्कूल ,करतारपुरा जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी-प्रथम कलेक्टर परिसर बनीपार्क जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री सुभाष पारीक, कनिष्ठ लिपिक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 28-4-17 से दावा संख्या 39/1969 में पारित निर्णय दिनांक 14-7-1969 के क्रम में मौका व रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 9-6-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 1-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 2-6-17 के द्वारा विनिश्चिय प्रेषित कर दिया गया था तथा जहां तक मौके की नवीन स्थिति का प्रश्न है, इस तरह की सूचना सृजन की श्रेणी में आती है अतः नहीं दी जा सकती एवं पुनः पत्र दिनांक 1-2-18 के साथ तहसीलदार, जयपुर से पत्र दिनांक 16-10-17 के माध्यम से प्राप्त सूचना संलग्न कर अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 1-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

7. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त